

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-11/2022/6/12/73-का-2-2022/टी0सी0-VI(II)
लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी0सी0-VI(II) लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2022, के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तेरहवॉ संशोधन) नियमावली, 2022 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुखमंत्री जी।
- 3-निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 4-निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
- 5-प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6-रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7-सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 8-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 9-सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 10-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 11-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 12-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 13-निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 14-वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 15-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
- 16-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 17-गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विजय कुमार संखवार
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी0सी0-VI(II)
लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

**उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तेरहवाँ संशोधन)
नियमावली, 2022**

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

नियम 5 का
प्रतिस्थापन

2- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(1) (एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा,
अर्थात्:-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान नियम

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-5(1)-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य

नियम-5(1)-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो:

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह

की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो:

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी,

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किए जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0 ओ0 ई0 ए0 सी0 सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी0 सी0 सी0 प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ाई गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किए जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

आज्ञा से
डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/73/Ka-2-T.C-IV(II) dated 27 December, 2022:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION

Miscellaneous

No.6/12/73/Ka-2-T.C-IV(II)

Dated Lucknow, 27 December, 2022

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (THIRTEENTH AMENDMENT) RULES, 2022

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called **The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Thirteenth Amendment) Rules, 2022.**

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, for existing rule 5(1)(i) set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

COLUMN 1

Existing rule

5.(1) Recruitment of a member of the family of the deceased- In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person-

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post:

Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a

COLUMN 2

Rule as hereby substituted

5.(1) Recruitment of a member of the family of the deceased- In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person-

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post:

Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, his services shall be dispensed with.

Provided further that in case appointment is to be made on a post for which the knowledge of computer operation and typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in computer operation and typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the 'C.C.C' certificate in computer operation awarded by the DOEACC Society or a certificate equivalent thereto from an Institution recognised by the Government together with the required speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and, if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the required certificate in computer operation and the required certificate in computer operation and the required speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquired certificate in computer operation and the required speed in typewriting, his services shall be dispensed with.

further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, then an order will be issued to provide him appointment on the post of class IV. The appointment so granted shall be deemed to be a fresh appointment and shall not be reversion. If he does not join the post of class IV within stipulated time his services will be terminated.

Provided further that in case appointment is to be made on a post for which the knowledge of computer operation and typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in computer operation and typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the 'C.C.C' certificate in computer operation awarded by the DOEACC Society or a certificate equivalent thereto from an Institution recognised by the Government together with the required speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and, if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the required certificate in computer operation and the required certificate in computer operation and the required speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquired certificate in computer operation and the required speed in typewriting, then an order will be issued to provide him appointment on the post of class IV. The appointment so granted shall

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

be deemed to be a fresh appointment and shall not be reversion. If he does not join the post of class IV within stipulated time his services will be terminated.

By order,

Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।